न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 85 / 2021

1 लक्ष्मीनारायण पुत्र गणेश।
2 बलदेव पुत्र गणेश।
3 प्रहलाद पुत्र गणेश।
4 फूलचन्द पुत्र गणेश।
5 बीरबल पुत्र गणेश समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी बोहरावाली तन चौकड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 कमला पुत्री फालाराम।
2 कविता पुत्री फालाराम।
3 कालूराम पुत्र फालाराम।
4 किरण पुत्री भोलाराम।
5 किशोर पुत्र भोलाराम।
6 किशोर सिंह पुत्र मालाराम।
7 घासीराम पुत्र हणमान।
8 धापली पत्नी मालाराम।
9 प्रभूदयाल पुत्र महादेव।
10 परमेश्वर पुत्र भींवाराम।
11 बद्रीप्रसाद पुत्र हणमान।
12 बनवारीलाल पुत्र मालाराम।
13 बन्शीधर पुत्र हणमान।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व ... सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

14 बलदेव प्रसाद पुत्र भगवाना।
15 भैरूराम पुत्र भींवाराम।
16 भानाराम पुत्र महादेव।
17 भोलाराम पुत्र हणमान।
18 मुक्तिलाल पुत्र झुंथाराम।
19 मन्जू पुत्री फालाराम।
20 मनोज पुत्र भोलाराम।
21 ममता पुत्री फालाराम।
22 मुलाराम पुत्र महादेव।
23 मांगेलाल पुत्र भूरा।
24 लालचन्द पुत्र भूरा।
25 संकरी देवी पत्नी फालाराम।
26 संजय पुत्र भींवाराम।
27 सन्तोष पुत्री भोलाराम।
28 सुनिता पुत्री फालाराम।
29 साधू पुत्र भूरा।
30 सांवरमल पुत्र झूंथाराम।
31 हरसाराम पुत्र मालाराम।
32 बसन्ती पत्नी गणपत।
33 कैलाश पुत्र गणपत।
34 प्रकाश पुत्र गणपत।
35 राजेन्द्र पुत्र गणपत समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी चेजारावाली तन ज्योतीबानगर ग्राम चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
36 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।
37 उप पंजियक नीमकाथाना जिला सीकर।
38 राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजरव अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांकित 25.08.2021 मुकदमा नम्बर 267/2021 उनवानी लक्ष्मीनारायण वगैरह बनाम कमला वगैरह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जगराम कुड़ी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 5-7-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 267/2021 में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 86 व 88 ग्राम ज्योतीबानगर तहसील नीमकाथाना के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन आदेश से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा तो जारी कर दी किन्तु सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी, रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ते पर स्थगन प्रभावी नही होने का आदेश भी पारित कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचाराधीन आदेश में मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश तो है किन्तु पत्थरगढ़ी पर स्थगन प्रभावी नही होने का अंकन है। इसका फायदा उठाकर अप्रार्थीगण ने पत्थरगढ़ी का आदेश प्राप्त कर अपीलांट को बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। अत अपील स्वीकार कर अन्तिम निर्णय तक विवादित भूमि खसरा नम्बर 86 व 88 के सन्दर्भ में पत्थरगढ़ी, सीमाज्ञान पर भी स्थगन प्रभावी किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा जारी स्थगन रेस्पोडेंट के विपरित है। इसके बावजूद भी अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार नही है। विचारण न्यायालय द्वारा अन्तरिम स्थगन जारी किया गया है। धारा 212 का अन्तिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। सीमाज्ञान का आदेश धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत जारी किया गया है। यह आदेश इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है। विचारण न्यायालय ने सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी को स्थगन से मुक्त रखा है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने अन्तरिम स्थगन आदेश भी अपीलांट ने ही प्राप्त किया है। विचाराधीन आदेश के विरूद्व विचारण न्यायालय में अपीलांट ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। धारा 212 का अन्तिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 05/07/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर